

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231233
SG-DL-E-18112021-231233

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 256
No. 339] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943 [N. C. T. D. No. 256

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सं. 08/2021-राज्य कर

सं. फा. 03(112)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/310.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जून 2017 को सं0फा0 03(14)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-IV/358, दिनांक 30 जून 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्—

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र०सं० 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021

5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।”।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं० 13/2017, दिनांक 30 जून 2017 को सं०फा० 03(14)/वित्त (राजस्व- I)/2017-18/डीएस-IV/358, दिनांक 30 जून 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं० 51/2020- राज्य कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, जिसे सं० फा० 03(69)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/268, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th November, 2021

No. 08/2021-State Tax

No. F. 3(112)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 13/2017 –State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* No. F.3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017, namely:—

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of Section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the	March, 2021,

	year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	next 15 days, and 18 per cent thereafter	April,2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39.	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.”.

(ii) This Notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal Notification No. 13/2017-State Tax, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* Notification No. 51/2020-State Tax, date the 31st Dec, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Published *Vide* No. F.3(69)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/268, dated the 31st Dec, 2020.